रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02032024-252576
CG-DL-E-02032024-252576

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 131]	नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 28, 2024/फाल्गुन 9, 1945
No. 131]	NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 28, 2024/PHALGUNA 9, 1945

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2024

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023

सं. पीएफआरडीए/16/3/29/0089/2017-आरईजी-पीएफ.—पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 52 की उप-धारा (1) के साथ पठित उसकी उपधारा (2) के खंड (ङ), (ड), (ढ), (ण) और (त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) विनियम, 2015 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाए जाते हैं, नामतः :-

1. इन विनियमों को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 कहा जाएगा।

2. ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

3. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) विनियम, 2015, समय-समय पर यथासंशोधित (इसके बाद 'मुख्य विनियम' के रूप में संदर्भित) में, निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं।

I. मुख्य विनियमों की अनुसूची III (विनियमों के अंतर्गत देय शुल्क) का भाग ख निम्नानुसार प्रतिस्थापित हो जाएगा :

"भाग ख

I. इस भाग के प्रयोजनार्थ, अभिव्यक्ति 'प्रबंधन के अंतर्गत आस्तियों' का अर्थ पेंशन निधि द्वारा धारित आस्तियों का मूल्य होगा जैसा कि नीचे भाग ख के उप-अनुच्छेद III के अंतर्गत इसके द्वारा दर्शाया गया है।

II. भाग क में विनिर्दिष्ट शुल्क "पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण" के पक्ष में नई दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक द्वारा या पीएफआरडीए के नामित बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक अंतरण के माध्यम से देय होगा।

III. पेंशन निधि तिमाही आधार पर यथानुपात वार्षिक शुल्क का भुगतान करेगा, यदि व्यवसाय वर्ष के कुछ भाग में किया गया हो। वार्षिक शुल्क के भुगतान के साथ प्रबंधन के अंतर्गत आस्तियों की विवरणी संलग्न की जाएगी, जो ऐसे प्रारूप में होगी जो प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट की जाए और उसे पेंशन निधि के संचालन प्रमुख द्वारा सत्य और पूर्ण के तौर पर प्रमाणित किया जाएगा।

IV. प्राधिकरण के पास सभी या किसी भी शुल्क में समय-समय पर संशोधन करने का अधिकार होगा।"

II. मुख्य विनियमों की अनुसूची V (रिपोर्ट और प्रकटन) निम्नानुसार प्रतिस्थापित हो जाएगा :

"अनुसूची V

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

(पेंशन निधि) विनियम, 2015

[विनियम 9क(1)(ज्ञ) और 22(8) देखें]

रिपोर्ट और प्रकटन

1. एनपीएस न्यास, पीएफआरडीए, सीआरए और अन्य पक्षों को रिपोर्टिंग

पेंशन निधि, आवधिक रिपोर्ट के साथ-साथ ऐसी सूचना और दस्तावेज प्रस्तुत करेगा जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास और केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण में प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जाए। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन यह निम्नलिखित तक ही सीमित नहीं हैं :-

(क) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को सांकेतिक रिपोर्ट

प्रत्येक क्रमिक अवधि के लिए लिखित/इलेक्ट्रानिक रूप में रिपोर्ट को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के कार्यालय में, मासिक या त्रैमासिक या अर्धवार्षिक या वार्षिक रिपोर्ट के मामले में, उस अवधि की समाप्ति के दस दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएगी तथा इसमें उस अवधि की अंतिम तिथि तक निम्नलिखित सूचना प्रदान करनी होगी।

रिपोर्ट	विषय
मासिक	
1	एयूएम और यूनिटों का सामंजस्य
2	पेंशन निधि द्वारा प्रबंधित की जा रही स्कीमों के लिए पोर्टफोलियो का विवरण
3	पेंशन निधि द्वारा की गई खरीद और बिक्री का विवरण
4	पेंशन निधि द्वारा प्रबंधित की जा रही स्कीमों के निधि अंतर्वाह और बहिर्वाह
5	समूह कंपनी/पेंशन निधि सहयुक्तों द्वारा प्रतिभूतियों में लेनदेन पर रिपोर्ट
6	डाउन ग्रेडेड निवेशों की विवरणी
7	'चूक' के रूप में वर्गीकृत निवेशों का विवरण
8	पेंशन निधि द्वारा प्रबंधित की जा रही स्कीमों के लिए एक्सपोजर सीमाओं का विवरण

9	ऐसे निवेश का विवरण जो निवेश प्रबंधन शुल्क हेतु पात्र न हों
एमसी	मासिक अंतराल पर अनुपालन प्रमाणपत्र
त्रैमासिक	
1	पेंशन निधि के प्रमुख कार्मिकों द्वारा अपने नाम पर प्रतिभूतियों में लेनदेन की रिपोर्ट
2	पेंशन निधि के किसी भी सहयुक्त से प्रतिभूतियों में लेनदेन की रिपोर्ट
3	पोर्टफोलियो परिदृश्य
4	निम्नलिखित के मूल्यांकन सहित पोर्टफोलियो स्थिति का परिदृश्य क. वर्तमान आर्थिक स्थिति ख. प्रतिभूति बाजारों के लिए संभावनाएं ग. पोर्टफोलियो में स्थितियों और लेनदेन के लिए औचित्य घ. पिछली तिमाही (और वर्ष जब लागू हो) में विशेष बाज़ार बेंचमार्क से निरपेक्ष एवं सापेक्ष आधार पर निष्पादकता ङ. पोर्टफोलियो के प्रतिलाभों के लिए दृष्टिकोण
क्यूसी	त्रैमासिक अंतराल पर अनुपालन प्रमाणपत्र
अर्धवार्षिक	
1	स्कीम लेखांकन विनियमों के अनुसार स्कीमों के अर्धवार्षिक अंकेक्षणरहित खातों की एक प्रति। (प्रत्येक छमाही की समाप्ति से एक महीने के भीतर)
2	निदेशकों के हितों में कोई बदलाव
एचवाईसी	अर्धवार्षिक अंतराल पर अनुपालन प्रमाणपत्र
वार्षिक	
1	प्रायोजक के विनियामक लाइसेंसों की वर्तमान स्थिति और पेंशन निधि या प्रायोजक (प्रायोजकों) के नाम या पंजीकरण में किसी भी बदलाव का विवरण
2	उपार्जित ब्याज की राशि दर्शाने वाला विवरण, किन्तु जो वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि को वसूल न की गई हो
3	पेंशन निधि द्वारा निष्पादित सभी सेवा अनुबंध, जिसमें आउटसोर्स गतिविधि शामिल है
4	सभी सेवा संविदाएं, जैसे अभिरक्षा व्यवस्था और प्रतिभूतियों की अंतरण एजेंसी जो अभिदाताओं के हित में निष्पादित की जाती हों
5	विनियमों, दिशानिर्देशों, परिपत्रों का अनुपालन और सभी गतिविधियों का सारांश
6	अंकेक्षित वार्षिक रिपोर्ट की प्रति और स्कीम लेखांकन विनियमों के अनुसार निवेश के विवरण सहित अन्य सूचना (प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तिथि से साठ दिनों के भीतर)
7	प्रत्येक स्कीम का अंकेक्षण रहित अनंतिम वित्तीय विवरणों (जिसमें तुलनपत्र, राजस्व खाता, टिप्पणियां और अनुसूचियां शामिल हैं) की प्रति (प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तिथि से तीस दिनों के भीतर)
8	डाले गए मतों की संख्या सहित मतदान रिपोर्ट (जिसमें पक्ष, विपक्ष में या अनुपस्थित शामिल हैं) और एक विवरण जिसमें यह उल्लिखित हो कि पेंशन निधि द्वारा केवल अभिदाता के हितों में अपने मतदान अधिकारों का प्रयोग करने के अपने दायित्व का अनुपालन किया गया है।
एसी	वार्षिक अंतराल पर अनुपालन प्रमाणपत्र

तदर्थ	
1	उसके सभी निदेशकों के बायोडाटा तथा अन्य कंपनियों में उनका हित (नियुक्ति के 15 दिनों के भीतर)
2	हितों का विरोध
3	ऐसी सभी सूचनाएं जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा आवश्यक समझी जाएँ

(ख) प्राधिकरण को रिपोर्ट

(i) रिपोर्टों के अतिरिक्त, पेंशन निधि इस अनुसूची के अनुच्छेद 2 के अनुसार प्रकटनों का अनुपालन करेगा।

(ii) प्राधिकरण द्वारा यथानिर्धारित कोई अन्य सूचना।

(iii) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा प्राधिकरण को की जाने वाली अपवादात्मक रिपोर्टिंग।

(iv) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास पेंशन निधि के प्रचालनों के बारे में प्राधिकरण को आवधिक आधार पर सूचित रखेगा।

(ग) केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण को रिपोर्ट

पेंशन निधि, निम्नलिखित को विकसित करेगा और इनके लिए केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण के साथ संपर्क करेगा :-

(i) अपेक्षित प्रारूपों में रिपोर्ट भेजना और प्राप्त करना।

(ii) केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरणों द्वारा निवेश अनुदेशों का संकलन और समेकन।

(iii) पेंशन निधि द्वारा केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरणों को पुष्टिकरण रिपोर्ट।

(iv) पेंशन निधि द्वारा दैनिक निवेश रिपोर्ट।

(v) केन्द्रीय अभिलेखपालन अभिकरणों को पेंशन निधि के भुगतान की स्कीम-वार स्थिति की रिपोर्ट।

(vi) प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर स्कीमों के निवल आस्ति मूल्यों के संबंध में दैनिक रिपोर्ट।

(vii) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास खाते से स्कीमों के लिए निवल निधि की प्राप्ति।

(viii) निवल भुगतान के संबंध में विसंगति/पुष्टिकरण रिपोर्ट।

(घ) अन्य पक्षों को रिपोर्ट

(i) पेंशन निधि ऐसी रिपोर्टों को विकसित करेगा और प्रदान करेगा जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास, न्यासी बैंक, अभिरक्षक और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली स्थापत्य की अन्य संस्थाओं द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो, जैसा कि प्राधिकरण और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए।

(ii) पेंशन निधि स्कीमों पर प्रभारित निवेश प्रबंधन शुल्क और स्कीमों के निवल आस्ति मूल्य की गणना की पद्धति को प्रकट करेगी और उसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास और प्राधिकरण द्वारा यथाविनिर्दिष्ट वेबसाइट पर डाला जाएगा।

2. सार्वजनिक प्रकटीकरण - विनियम 22 (8) के अंतर्गत

(क) पेंशन निधि, प्राधिकरण द्वारा यथानिर्धारित प्रकटन अपेक्षाओं का अनुपालन करेगी।

(ख) सभी हितधारकों के हित में प्राधिकरण द्वारा सूचना प्रदान करने की एकरूपता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित सार्वजनिक प्रकटीकरण विनिर्दिष्ट किए गए हैं :

सं.	विवरण	आवृत्ति	प्रारूप	अंतिम तिथि	वेबसाइट पर उप-शीर्षक
1	शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) (स्कीम वार)	दैनिक	चार दशमलव अंक तक	उसी दिन में रात 10.00 बजे तक	एनएवी
2	एनएवी इतिहास (स्थापना के बाद से) (स्कीमवार-	दैनिक	---समान---		एनएवी इतिहास

	सारणीबद्ध डेटा के साथ-साथ ग्राफिकल रूप दोनों में)				
3	प्रत्येक स्कीम के पोर्टफोलियो का स्क्रिप वार विवरण	मासिक	नीचे संलग्न (प्रत्येक स्कीम के पोर्टफोलियो का स्क्रिप वार विवरण)	महीने की अंतिम तिथि से 10 दिनों के भीतर	स्कीम पोर्टफोलियो विवरण
4	अंकेक्षण रहित वित्तीय विवरण* के साथ स्कीम पोर्टफोलियो के विवरण	अर्धवार्षिक	(प्रत्येक स्कीम के पोर्टफोलियो का स्क्रिपवार विवरण)	प्रत्येक छमाही की अंतिम तिथि से एक महीने की समाप्ति से पहले	वित्तीय
5	वार्षिक रिपोर्ट (वित्तीय विवरण के साथ)** और प्रत्येक स्कीम पोर्टफोलियो का विवरण	वार्षिक	(प्रत्येक स्कीम के पोर्टफोलियो का स्क्रिपवार विवरण)	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा अनुमोदन के बाद (15 दिनों के भीतर)	वित्तीय
6	निवेश नीति / अन्य अधिदेशित नीति और निवेश समीक्षा तंत्र	सदैव अद्यतन संस्करण	-	बोर्ड के अनुमोदन के बाद 10 दिनों के भीतर	नीति
7	पेंशन निधि की वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरण	वार्षिक	-	एजीएम के पश्चात (10 दिनों के भीतर)	वित्तीय
8	स्कीमवार शुल्क (पेंशन निधि द्वारा शुल्क में हुए बदलाव की सार्वजनिक सूचना को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना होगा)	वार्षिक	-	संशोधित होने पर अपडेट किया जाएगा (4 दिनों के भीतर)	निवेश प्रबंधन शुल्क

* 'वित्तीय विवरण' में तुलन-पत्र, राजस्व खाता और टिप्पणियां, अनुसूचियां और अन्य अभिन्न रिपोर्टें शामिल हैं।

** 'वार्षिक रिपोर्ट' की विषयवस्तु, अनुसूची-VII के अंतर्गत वित्तीय विवरणों और अंकेक्षक की रिपोर्ट के अनुसार है।

(ग) पेंशन निधि, उपर्युक्त सार्वजनिक प्रकटीकरण को अपनी संबंधित वेबसाइटों के मुख्य पृष्ठ पर एक प्रमुख स्थान पर 'सार्वजनिक प्रकटीकरण' शीर्षक और एनएवी, पोर्टफोलियो विवरण, वित्तीय विवरण, नीति आदि, जैसा लागू हो, जैसे उप-शीर्षकों के साथ प्रकाशित करेंगे।

प्रत्येक स्कीम के पोर्टफोलियो का स्क्रिपवार विवरण

पेंशन निधि का नाम :

स्कीम का नाम :

पोर्टफोलियो विवरण................ (महीने के अंत तक)

निवेश की श्रेणी	**आईएसआईएन सं.**	**उद्योग**	**मात्रा**	**बाज़ार मूल्य**	**पोर्टफोलियो का %**	**रेटिंग**
सरकारी प्रतिभूतियां और संबंधित निवेश -- -- --						

निवेश की श्रेणी	**आईएसआईएन सं.**	**उद्योग**	**मात्रा**	**बाज़ार मूल्य**	**पोर्टफोलियो का %**	**रेटिंग**
ऋण उपकरण और संबंधित निवेश -- -- --						
इक्विटी और संबंधित निवेश -- -- --						
अल्पकालिक ऋण उपकरण और संबंधित निवेश -- -- --						
वैकल्पिक निवेश -- -- --						
निवल वर्तमान आस्ति -- -- -- अन्य आस्तियां -- --						
कुलयोग						
पोर्टफोलियो की औसत परिपक्वता (वर्षों में)						
संशोधित अवधि						
परिपक्वता पर लाभ (%) (वार्षिक) (बाजार मूल्य पर)						
क्रेडिट रेटिंग एक्सपोजर केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां						
राज्य विकास ऋण एएए / समकक्ष ए1+ (वाणिज्यिक पत्र के लिए)						

निवेश की श्रेणी	आईएसआईएन सं.	उद्योग	मात्रा	बाज़ार मूल्य	पोर्टफोलियो का %	रेटिंग
एए + / समकक्ष एए / समकक्ष एए- / समकक्ष ए+ / समकक्ष ए / समकक्ष ए- / समकक्ष बीबीबी+ / समकक्ष बीबीबी / समकक्ष बीबीबी- / समकक्ष						
निवेश ग्रेड से नीचे (उपर्युक्त निवेशों में से चूक के रूप में वर्गीकृत)						
योग						

बकाया यूनिट

एनएवी

1. किसी भी स्क्रिप की मात्रा, बाजार मूल्य और एनएवी के प्रतिशत के बावजूद, संपूर्ण पोर्टफोलियो को प्रत्येक उप-समूह के भीतर वेटेज के अवरोही क्रम में दर्शाएँ। यदि किसी प्रतिभूति के पोर्टफोलियो का प्रतिशत 0.01% से कम है, तो इसे 0.00 दिखाने के बजाय तारांकन या कोई अन्य चिह्न देकर दर्शाएँ।
2. प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के अनुसार चूक के रूप में वर्गीकृत ऋण उपकरणों के सामने एक तारांकन/उपयुक्त चिह्न दिया जाए।
3. निम्नलिखित सूचना टिप्पणी के माध्यम से दी जाए : क. निवेश ग्रेड और चूक के रूप में वर्गीकृत निवेशों के लिए कुल देय राशि (मूलधन + ब्याज)। ख. स्कीम एयूएम के अनुपात के रूप में निवेश ग्रेड से नीचे और चूक के रूप में वर्गीकृत निवेश के लिए हेयरकट (मूलधन + ब्याज) की कुल राशि। ग. अवधि की शुरुआत और अंत में एनएवी। घ. अवधि के अंत में व्युत्पन्न उपकरणों में कुल बकाया एक्सपोजर।
4. भारत सरकार के 'आधारभूत संरचना की सामंजस्यपूर्ण मास्टर सूची के अनुसार कुल' आधारभूत संरचना निवेश"

III. मुख्य विनियमों की अनुसूची VI (आचार संहिता) के तहत भाग III (सूचना का प्रकटीकरण) में, वर्त्तमान खंड (ग) के पश्चात् खंड (3.4) को खंड (घ) के तौर पर पुनःसंख्यांकित किया जाएगा।

डॉ. दीपक महान्ती, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./785/2023-24]

नोट : पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) विनियम. 2015 को अधिसचना सं पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/9. के द्वारा दिनांक 19 मई. 2015 को भारत के राजपत्र. असाधारण. भाग III. खंड 4. संख्या 168 में प्रकाशित किया गया था और इसके पश्चात पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) (प्रथम संशोधन) विनियम. 2016. को अधिसचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/9 के द्वारा दिनांक 8 सितंबर. 2016 को भारत के राजपत्र. असाधारण. भाग III. खंड 4. संख्या 343 में. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) (द्वितीय संशोधन) विनियम. 2020 को अधिसचना सं पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/9 के द्वारा दिनांक 5 फरवरी. 2020 को भारत के राजपत्र. असाधारण. भाग III. खंड 4. संख्या 48 में. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) (ततीय संशोधन) विनियम. 2020 को अधिसचना सं पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/9 के द्वारा दिनांक 14 मई. 2020 को भारत के राजपत्र. असाधारण. भाग III. खंड 4. संख्या 169 में. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) (चतर्थ संशोधन) विनियम. को अधिसचना सं पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/9 के द्वारा दिनांक 1 अप्रैल. 2021 को भारत के राजपत्र.असाधारण. भाग III. खंड 4. संख्या 139 में. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) (पांचवां संशोधन) विनियम. 2021 को अधिसचना सं पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/9 के द्वारा दिनांक 25 मई. 2021 को भारत के राजपत्र. असाधारण. भाग III. खंड 4. संख्या 202 में और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) (छठा संशोधन) विनियम. 2021 को अधिसचना सं पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/9 के द्वारा दिनांक 15 जलाई. 2021 को भारत के राजपत्र. असाधारण. भाग 3. खंड 4. संख्या 286 में तथा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) (संशोधन) विनियम. 2023 को अधिसचना संख्या पीएफआरडीए/16/3/29/0089/2017-आरईजी-पीएफ के माध्यम से दिनांक 13 फरवरी, 2024 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, संख्या 96 में प्रकाशित किया गया।

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2024

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (PENSION FUND) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2023

No. PFRDA/16/3/29/0089/2017-REG-PF.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 52 read with clauses (e) (m), (n), (o) and (p) of sub-section (2) thereof of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations to amend the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) Regulations, 2015, namely:-

1. These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) (Second Amendment) Regulations, 2023.
2. These shall come into force on the date of their publication in the official gazette.
3. In the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) Regulations, 2015, as amended from time to time (hereinafter referred to as 'the principal regulations'), the following amendments are made.

I. PART B of Schedule III (Fees payable under the regulations) of the principal regulations shall be substituted as follows:

"PART B

I. For the purpose of this part, the expression 'assets under management' shall mean the value of the assets held by the pension fund as disclosed by it under sub-paragraph III of Part B below.

II. The fees specified in part A shall be payable by demand draft or bankers cheque in favour of "Pension Fund Regulatory and Development Authority" payable at New Delhi or through electronic transfer in the designated bank account of PFRDA.

III. A pension fund shall pay *pro rata* annual fee on quarterly basis, if the business is done for a part of the year. The payment of annual fee shall be accompanied by a statement of assets under management which shall be in such format as may be determined by the Authority and shall be certified to be true and complete by the functional head of the pension fund.

IV. The Authority reserves the right to amend all or any of the fees from time to time.”

II. Schedule V (Reports and Disclosure) of the principal regulations shall be substituted as follows:

“SCHEDULE V

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

(PENSION FUND) REGULATIONS, 2015

[See regulations 9A(1)(i) and 22(8)]

REPORTS AND DISCLOSURE

1. Reporting to NPS Trust, PFRDA, CRA and Other Parties

The pension fund shall furnish periodic reports as well as such information and documents as may be determined by the Authority to be submitted to National Pension System Trust and the central recordkeeping agency. This shall include, but shall not be limited to the following:-

(a) Indicative Reports to National Pension System Trust

Reports must be provided in writing/electronic form for each successive period by delivery to the office of National Pension System Trust, within ten days of the end of the period in the case of a monthly or quarterly or half yearly or yearly report and shall contain the following information as at a stated end of period date.

Report	Contents
Monthly	
1	Reconciliation of AUM and Units
2	Details of Portfolio for Schemes being managed by Pension Fund
3	Statement of Purchases and Sales effected by Pension Fund
4	Fund Inflows and Outflows of Schemes being managed by Pension Fund
5	Report on transactions in securities of Group company/Pension Fund associates
6	Statement of Down Graded Investments
7	Statement of investments classified as ‘default’
8	Statement of exposure limits for Schemes being managed by Pension Fund
9	Statement of Investments not eligible for investment management fees
MC	Compliance certificate at Monthly Interval
Quarterly	
1	Report on transactions in securities by key personnel of Pension Fund in their own name
2	Report on transactions in securities with any of the Pension Fund's associates
3	Portfolio overview
4	Overview of portfolio positioning including evaluation of च. Current economic conditions छ. Prospects for securities markets ज. Justification for the positions and transactions in the portfolio झ. Attribution of performance over last quarter (and year when applicable) on absolute basis as well as relative to the specific benchmark ञ. Outlook for returns for the portfolio
QC	Compliance certificate at Quarterly Interval

Report	Contents
Half-Yearly	
1	Copy of half yearly unaudited accounts of schemes as per scheme accounting regulations. (before the expiry of one month from the close of each half year)
2	Any change in the interests of Directors
HYC	Compliance certificate at Half yearly Interval
Annual	
1	Statement regarding the current status of the sponsor's regulatory licenses and details of any changes in the name or capitalization of the Pension Fund or Sponsor(s)
2	Statement showing the amount of interest accrued but not realised as on closing date of the financial year
3	All service contracts executed by Pension Fund, including outsourced activity
4	All service contracts such as for custody arrangements and transfer agency of the securities are executed in the interest of subscribers.
5	Summary of all activities and compliance with regulations, guidelines, circulars
6	Copy of the Audited Annual Report and other information including details of investments as per the Scheme accounting regulations. (within sixty days from the date of closure of each financial year)
7	Copy of unaudited provisional financial statements (Balance Sheet, Revenue Account, notes and schedules) of each scheme. (within thirty days from the date of closure of each financial year)
8	Voting Report including the number of votes cast (for, against, or abstained) and a statement of whether the Pension Fund has complied with its obligation to exercise its voting rights in the subscriber's interests only.
AC	Compliance certificate at Annual interval
Ad hoc	
1	Bio-data of all its Directors alongwith their interest in other companies within 15 days of their appointment
2	Conflicts of interest
3	All such information as is considered necessary by the National Pension System Trust

(b) Reports to Authority

(i) In addition to the reports, pension fund shall adhere to disclosures in accordance with para 2 of this Schedule

(ii) Any other information as determined by the Authority.

(iii) Exception reporting to be done by National Pension System Trust to Authority.

(iv) National Pension System Trust shall keep the Authority informed of the operations of the Pension Fund on periodic basis.

(c) Reports to central recordkeeping agencies

The pension fund shall develop and have interface with the central recordkeeping agencies for:-

(i) Sending and receiving reports in the required formats.

(ii) Compilation and consolidation of investment instruction by central recordkeeping agencies.

(iii) Confirmation Report by pension fund to central recordkeeping agencies.

(iv) Daily investment report by pension fund.

(v) Report of scheme wise payout position of pension fund to central recordkeeping agencies.

(vi) Daily Report on Net Asset Values of the schemes within such timelines as determined by the Authority from time to time.

(vii) Net fund receipt for schemes from National Pension System Trust Account.

(viii) Discrepancy/confirmation report on net payout.

(d) Reports to other parties

(i) The pension fund shall develop and have interface to provide such reports as may be required by the National Pension System Trust, Trustee Bank, Custodian and other entities of the National Pension System architecture as may be determined by Authority and National Pension System Trust from time to time.

(ii) The pension fund shall disclose the investment management fees charged to schemes and the manner of calculating Net Asset Value of the schemes and the same shall be hosted on the website as may be specified by the National Pension System Trust and the Authority.

2. Public disclosures -Under Regulation 22(8)

(a) The pension fund shall comply with the disclosure requirements as determined by Authority.

(b) In order to ensure uniformity and timeliness of dispensation of information by the Authority in the interest of all stakeholders, the following public disclosures have been specified:

Sl	Particulars	Frequency	Format	Time Limit	Sub- heading on website
1	Net Asset Value (NAV) (scheme wise)	Daily	Up to four decimal points	By 10.00 PM on the same day	NAV
2	NAV History (since inception) (scheme wise-both in Tabular data as well as graphical form)	Daily	--- do ---		NAV History
3	Scrip wise details of Portfolio of each scheme	Monthly	Appended below (Scrip wise details of Portfolio of each Scheme)	within 10 days from the end of month	Scheme Portfolio Details
4	Unaudited financial statements* alongwith statement of scheme portfolio	Half Yearly	(Scrip wise details of Portfolio of each Scheme)	before the expiry of one month from the close of each half year	Financials
5	Annual Report (with Financials)** and portfolio details of each scheme	Yearly	(Scrip wise details of Portfolio of each Scheme)	after approval by the National Pension System Trust (within 15 days)	Financials
6	Investment Policy/other mandated policy and Review Mechanism	Updated version at all times	-	Within 10 Days after Board approval	Policy
7	Annual Report and Financials of Pension Fund.	Yearly	-	After AGM (within 10 days)	Financials
8	Scheme wise Fee (pension fund should also simultaneously upload the Public Notice for change in fee on its website)	Yearly	-	To be updated when revised (within 4 days)	Investment Management Fee

** 'Financial Statements' includes balance sheet, revenue account and notes, schedules and other integral reports.*

*** Contents of 'Annual Report' are as per Financial Statements and Auditor's Report under Schedule VII*

(c) Pension Funds shall publish the above Public Disclosures on their respective websites at a prominent place on home page with heading 'Public Disclosure' and with sub-headings like NAV, Portfolio Details, Financials, Policy etc as applicable.

Scrip wise details of Portfolio of each scheme

Name of the Pension Fund :

Name of the scheme :

Portfolio Statement as on……………… (month end)

Category of Investments	ISIN No.	Industry	Quantity	Market value	% of Portfolio	Ratings
Government securities and related investments -- -- --						
Debt instruments and Related Investments -- -- --						
Equities and related Investments -- -- --						
Short-term debt instruments and related investments -- -- --						
Alternate Investments -- -- --						
Net current Assets -- -- --						
Other Assets -- --						
GRAND TOTAL						
Average Maturity of Portfolio (in years)						
Modified Duration						
Yield to Maturity (%) (annualized) (at market price)						
Credit Rating Exposure Central Govt. Securities						

Category of Investments	ISIN No.	Industry	Quantity	Market value	% of Portfolio	Ratings
State Development Loans AAA / Equivalent A1+ (For Commercial Paper) AA+ / Equivalent AA / Equivalent AA- / Equivalent A+ / Equivalent A / Equivalent A- / Equivalent BBB+ / Equivalent BBB / Equivalent BBB- / Equivalent						
Below Investment Grade (out of above investments classified as default)						
Total						

Units Outstanding

NAV

1. Entire portfolio irrespective of the quantity, market value and percentage to NAV of any scrip should be disclosed in descending order of weightage within each sub-group. If percentage to portfolio of any security is less than 0.01%, it may be indicated by giving asterisk or any other mark instead of showing 0.00.
2. An asterisk / suitable mark should be given against debt instruments which are classified as default in accordance with Authority’s guidelines.
3. The following information may be given by way of footnotes: a. Total amount due (principal + interest) for investments classified as below investment grade and default. b. Total amount of haircut (principal + interest) for investments classified as below investment grade and default as proportion to scheme AUM. c. NAV at the beginning and end of the period. d. Total outstanding exposure in derivative instruments at the end of the period.
4. Total ‘Infrastructure investments’ as per Govt. of India Harmonized Master List of Infrastructure”

III. In Part III (Disclosure of Information) under Schedule VI (Code of Conduct) of the principal regulations, existing clause (3.4) after clause (c) shall be renumbered as clause (d).

Dr. DEEPAK MOHANTY, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./785/2023-24]

Note: The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) Regulations, 2015 were published vide Notification No. PFRDA/12/RGL/139/9, on the 19th May, 2015 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 168, and were subsequently amended by the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) (First Amendment) Regulations, 2016 published vide Notification No. PFRDA/12/RGL/139/9, on the 8th September, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 343, the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) (Second Amendment) Regulations, 2020 published vide Notification No. PFRDA/12/RGL/139/9, on the 5th February, 2020 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 48, the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) (Third Amendment) Regulations, 2020

published vide Notification No. PFRDA/12/RGL/139/9, on the 14th May, 2020 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 169, the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) (Fourth Amendment) Regulations, 2021 published vide Notification No. PFRDA/12/RGL/139/9, on the 1st April, 2021 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 139, the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) (Fifth Amendment) Regulations, 2021 published vide Notification No. PFRDA/12/RGL/139/9, on the 25th May, 2021 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 202, the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) (Sixth Amendment) Regulations, 2021 published vide Notification No. PFRDA/12/RGL/139/9, on the 15th July, 2021 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 286 and the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) (Amendment) Regulations, 2023 published vide Notification No. PFRDA/16/3/29/0089/2017-REG-PF, on the 13th February, 2024 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 96.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA